

भारत सरकार
जल शक्तिमंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3287
जिसका उत्तर 23 मार्च, 2020 को दिया जाना है
.....
विश्व जल गुणवत्ता सूचकांक में खराब प्रदर्शन

3287. श्री संजय सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2019 में वाटर-एड के वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार भारत 122 देशों में से 120वें पायदान पर है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत के जल गुणवत्ता को सुधारने के लिए व्यापक योजना बनाई है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) जी हां,

(ख) जल गुणवत्ता के सुधार के लिए की गई कार्रवाई और योजना निम्नलिखित है:

- नदी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के साथ-साथ जल की गुणवत्ता के पुर्नभंडारण के लिए केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधान का कार्यान्वयन कर रहे हैं।
- संबंधितराज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(सीपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा स्थापना करने की सहमति जारी करनेऔर प्रचालन की सहमति के द्वारा औद्योगिक प्रदूषण के विनियमन जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा कार्यान्वित जा रहा है।
- सुधारक उपाय के लिए बहिर्साव की गुणवत्ता के संबंध में (ओसीइएमएस) रीयल टाइम जानकारी प्राप्त करने और अनुपालन नहीं करने वाली यूनिट की पहचान करने के लिएदेश में सीपीसीबी द्वारा जारी निदेशों के माध्यम से औद्योगिक यूनिटोंपर बहिर्साव गुणवत्ता पर ऑनलाईन सतत बहिर्साव मॉनीटरिंग प्रणाली की स्थापना की जाती है।
- जल निकायों केप्रदूषण की रोकथाम के लिए सीपीसीबी ने पर्यावरण (संरक्षण), नियम 1986 के तहत उद्योग विशिष्ट बहिर्साव निर्वहन मानक नियम बनाए हैं।
- आर्सेनिक को समाप्त करने के लिए 22.12.2014 को एक अंतर्मंत्रालयी समूह का गठन किया गया है और समूह की पिछली बैठक 20.11.2019 को आयोजित की गई थी, जिसमें जल की गुणवत्ता की सुधार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य सहमत थे।
- राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रभावी प्रदूषण उपशमन, संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई और अन्य नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है।
- भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के भाग के रूप में केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), देश केभूजल गुणवत्ता डाटा को क्षेत्रीय स्तर पर तैयार करता है।
- आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल गुणवत्ता संबंधी डाटा को संबंधित राज्यों के साथ साझा किया है।
- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल प्रदूषण की रोकथाम सहित भूजल के विभिन्न पहलुओं और संदूषित जल के सुरक्षित उपयोग पर समय-समय पर जागरूकतासृजन कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।
